

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

26.02.24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 से 22 नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित।

अतः उनके के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।


प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माटें व सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जाते हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबन्दी आदेश प्रदान किया जावें।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि यदि हमारी खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त को प्रभावित किये बिना तथा निष्पक्ष कमेटी का गठन करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी में नेखमबन्दी की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रेकर्ड्ड खातेदार होने से अपनी आराजी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी बाबत आवेदन पेश किया गया है। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब भी पेश करते हुए विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त को प्रभावित किये बिना नेखमबन्दी हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नीम्बला, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 599/226 रकबा 46.5873 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक नीम्बला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावें। कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबन्दी की कार्यवाही नहीं की जावें। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक नीम्बला बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव (बाडमेर)